लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स एम.एस.के. यदु, (प्रो. श्री मिथिलेश यदु, बिजराडीह सेण्ड माईन), ग्राम– बिजराडीह, तहसील – पलारी, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.), स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 496, कुल क्षेत्रफल – 10 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.11.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स एम.एस.के. यदु, (प्रो. श्री मिथिलेश यदु, बिजराडीह सेण्ड माईन), ग्राम – बिजराडीह, तहसील – पलारी, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.), स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 496, कुल क्षेत्रफल – 10 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत खदान परियोजना (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई कराने हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्रों हरिभूमि, रायपुर एवं द इम्प्रेसिव टाईम्स नई दिल्ली में दिनांक 26/10/2024 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 26.11.2024 अपरान्ह 02:00 बजे लोक सुनवाई का आयोजन ग्राम – बिजराडीह स्थित पीपल चौक स्कूल परिसर, तहसील – पलारी, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई व तामीली भी ली गई।

परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 26.11.2024 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 150 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई की प्रक्रिया अपरान्ह 02:00 बजे आरंभ हुई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ कमांक 1 से 07 तक)।

3. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया से लोक सुनवाई आरंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की गई तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

5. परियोजना प्रस्तावक श्री मिथिलेश यदु ने कहा कि आज दिनांक 26.11.2024 को पीपल चौक स्कूल परिसर, ग्राम– बिजराडीह, तहसील – पलारी, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में आवेदित बिजराडीह सेण्ड माईन खनन परियोजना (प्रो. श्री मिथिलेश यदु), प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति के तहत् लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित ग्रामवासी का मैं स्वागत करता हूँ और माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा महोदय की अनुमति से मेरे द्वारा आवेदित बिजराडीह सेण्ड माईन के लोक सुनवाई में परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु नेबेट प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय, नेबेट प्रमाणित मे. अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार की ओर से कहा गया कि माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी, परियोजना प्रस्तावक श्री मिथिलेश यदु की बिजराडीह सेण्ड माईन खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आज दिनांक 26/11/2024 को आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिजराडीह रेत खदान, रकबा – 10 हेक्टेयर और उत्पादन

क्षमता – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष है। कुल क्लस्टर क्षेत्र – 10 हेक्टेयर है। लोक सुनवाई का आयोजन पीपल चौक स्कूल परिसर, ग्राम– बिजराडीह, तहसील – पलारी, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 26/11/2024 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है। जन सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है 14 सितंबर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन और इसके अधीन किए गए संशोधनों के अनुसार क्षेत्र बी–1 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित लोक सुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। लोक सुनवाई की जानकारी को 2 समाचार पत्रों क्रमशः हरिभूमि, रायपुर एवं द इम्प्रेसिव टाईम्स नई दिल्ली में दिनांक 26/10/2024 को प्रकाशित किया गया है। लोक सुनवाई संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्राम पंचायत– बिजराडीह द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर लोकसुनवाई का दिन समय और स्थान की जन सामान्य को सूचना दी गयी। लोक सुनवाई हेतु जन सूचना के सम्बन्ध में, कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, द्वारा दिनांक 18/10/2024 को पत्र जारी किया गया था। खनिज विभाग जिला बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 6 के अनुसार रेत खदान की नीलामी के उपरांत आवेदक को अधिमानी बोलीदार घोषित करने के साथ, आवश्यक शासकीय अनुमति एवं प्रपत्र के साथ 5 वर्षों के रेत खनन के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, सेण्ड माईन खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त की गयी है एवं की जा रही है। आवेदित क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार बिजराडीह रेत खदान में कुल रिकव्हरेबल रिजर्वस 1,80,000 घनमीटर है। बिजराडीह सेण्ड माईन में वर्षवार उत्पादन के क्रम में, 5 वर्षों तक, प्रति वर्ष 1,80,000 घनमीटर/वर्ष उत्पादन प्रस्तावित है। बिजराडीह रेत खदान में कुल जल की आवश्यकता 09.00 किलो लीटर प्रतिदिन होगी। खदान में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 21 व्यक्ति होगी। खदान में कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 7 होंगी। जलवायु स्थिति – अध्ययन काल – शीत ऋतु 2023 –24 (18 अक्टूबर 2023 से 18 जनवरी 2024) तक अधिकतम तापमान – 33.31°C, न्यूनतम तापमान – 3.74°C, हवा की गति– 2.26 मीटर/सेकंड, प्रभावी पवन दिशा– उत्तर – पूर्व, औसत वर्षा – 0–0.2 मिलिमीटर रही। वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा के विश्लेषण के परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गये। वायु, जल, मृदा,

स्वास्थ्य, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन के लिए लोडिंग (भरना) – लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। परिवहन के लिए ट्रकों को तारपोलिन द्वारा ढका जाएगा। ओवर लोडिंग को रोका जायेगा। सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पी.यू.सी. होना सुनिश्चित किया जाएगा। पौधारोपण के लिए एप्रोच सड़क, कच्ची सड़कों में एवं नदी तट में पौधे लगाकर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। वायु गुणवत्ता के लिए वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन, प्रभाव और प्रदूषण को कम करने के पानी का छिडकाव किया जायेगा। डीजल इंजनों का नियमित रखरखाव किया जायेगा। सतह जल प्रबंधन में सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। भूमिगत जल प्रबंधन में आवेदित नदी तल क्षेत्र पर दोनों खदानों में रेत का जमाव औसत 5.20 मीटर या उससे अधिक की गहराई तक है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर नदी के तल की सतह के स्तर से 4.18 मीटर गहराई से नीचे है। खनन 3 मीटर जल स्तर की गहराई तक सीमित रहेगा। रेत में कोई विषैला तत्व नहीं होता है, इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपशिष्ट जल प्रबंधन में खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। अस्थायी साइट कार्यालय और एक विश्राम आश्रय का निर्माण किया जाएगा। खदान कार्यालय और विश्राम आश्रय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य, सुरक्षा हेतु ऑन साइट प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। ध्वनि गुणवता प्रबंधन के लिए ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगें। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं नदी तट एवं एप्रोच सड़क पर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। जोखिम वाले श्रमिकों द्वारा कान के मफ्स का उपयोग किया जाएगा। खनन उपकरण पर काम करते समय COVID -19 को देखते हुए कान के मफ, मास्क और सभी आवश्यक पीपीई प्रदान किए जाएंगे। खदान के समीप नदी के तट पर, स्थित खसरा नंबर 493 में कुल 2,000 स्थानीय प्रजाति के पौधें जैसे अर्जुन, जामुन, करंज, सीसम कदम्ब आदि पौधे लगाए जायेंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जावेगी। समाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव– परियोजना से समीपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नही है। परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी

अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नही होगी। परियोजना के शुरु होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जावेगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवाहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित किया जायेगा। जिसका स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा, जिससे निवासरत् लोगों का जीवनस्तर सामान्य से बेहतर होगा। आसपास के गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की सुविधा जैसे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई जाएगी जिसे ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। आपदा प्रबंधन योजना – एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम – 2019 एवं बाद में हुए संशोधनों, उसमे निहित निर्देशों के अनुसार खनन कार्य किया जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा माइन्स नियम, 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जाएगी। सफाई सुविधाऍ उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएँ एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जाएंगे। श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खदान के लिए उचित अग्निशमन सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। परियोजना से लाभ निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना। रोजगार पैदा करना। अध्ययन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार। भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार। सामाजिक अवसंरचना में सुधार। रोजगार क्षमता में वृद्धि। खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि। अवैध खनन की रोकथाम। राजकोष में योगदान। खान पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थायी आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा। खदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करेगी। अतिरिक्त, परिवहन जैसे कुछ कार्यों को अनुबंध पर आउटसोर्स किया जाएगा। इसलिए, खनन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने की उम्मीद है। परियोजना की लागत बिजराडीह सेण्ड माईन की कुल पूंजी लागत की राशि – 60.08 लाख रुपये है। खदान के लिए सीईआर की कुल राशि. 1.31 लाख रुपये होगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के नदी तट

क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं एप्रोच रोड, रैंप में जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़क के रखरखाव, खान श्रमिकों के लिए सुविधाएं एवं पर्यावरण की निगरानी एवं ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर इत्यादि के लिए बजट – कुल पूंजीगत लागत – 3,40,000 कुल आवर्ती लागत खदान में – 6,96,500, प्रथम वर्ष में ईएमपी की कुल लागत खदान में – 10,36,500 होगी। संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के समीप नदी के किनारे वृक्षारोपण एवं अप्रोच रोड मे जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी तथा पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जायेगा। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि खनन परियोजना के क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में एवं स्थानीय निवासियों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढॉचें के विकास का अवसर प्राप्त होगा। खनन परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रुप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संशाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह खनन परियोजना से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा। जो राज्य शासन के वित्तीय विकास मे क्षेत्र निवासियों की भागीदारी साबित करेगा। परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां परियोजना से संबंधित अन्य समस्त जानकारियां पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश इत्यादि को, नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुतीकरण की प्रति, लोकसुनवाई के अध्यक्ष, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला बलौदाबाजार – भाटापारा, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा सहयोगी दल को भी उपलब्ध करा दी गयी है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के द्वारा कहा गया कि अभी आपके सामने परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूॅ। आप कृपया यहां पर आयें माईक के पास एक–एक करके और इस परियोजना के संबंध में अपना पक्ष या विपक्ष जो भी आप कहना चाहते हैं आकर अपना विचार रखें। आप अपना विचार व्यक्त करने से पहले अपना नाम और गांव का नाम बतायें। इसके बाद आप अपना विचार रखें। जिनको लिखित में देना है, वो लिखित में भी दे सकते हैं। मंच के पास काऊंटर बना है, वहां आप अपना लिखित में अभ्यावेदन दे सकते हैं और जिनको बोलना है वो कृपया माईक पर आयें और अपना विचार व्यक्त करें।

1. श्री अजय कुमार चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति ने कहा कि आज यहाँ पर रेत खदान के पर्यावरणीय लोक सुनवाई हो रही हैं और इसमें महानदी से रेत निकाली जाएगी, जिससे ये होता है कि नदी की साईड की जमीन कटने लगती है और गाँव की सरहद कम होने लगती हैं, गाँव का रकबा कम होने लगता हैं। इसमें जो गाँव के किनारे लगे हुए पेड़ – पौधे भी बह जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण का भी नुकसान होता है। भूमि का क्षरण होना पर्यावरण का क्षरण होता है। इस गाँव से जाने के लिए सिर्फ एक ही रोड हैं आप सभी उसी रोड से आये हैं, अभी आपने देखा होगा इस सड़क की चौड़ाई 15 फीट से ज्यादा नहीं है, यहाँ से हाईवा एक गुजरेगा तो गाँव की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हों, गाँव में जो सड़क हैं, वो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् बनी हैं। इसमें 12 टन लोड क्षमता होती है और यहाँ पर 35 से 40 टन के हाईवा ट्रक गुजरेंगे तो इस सड़क का क्या हाल होगा। जब रोड ही खराब होगा तो ना ही एम्बुलेंस यहाँ तक आ पाएगी और मरीज भी समय पर अस्पताल नहीं जा पाएंगे बच्चों का क्या होगा? स्कूल का क्या होगा? अभी हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यह मिडिल स्कूल है यहाँ कक्षाएँ 4 बजे तक चलती हैं लेकिन आज इनकी कक्षाएँ 12 बजे ही बन्द कर दी गई क्योंकि आज यहाँ पर लोक जनसुनवाई हैं इसलिए स्कूल को बन्द कर दिया गया। स्कूलों के बच्चों की कक्षाएँ बन्द करना कहाँ तक सही हैं ? इस लोक जनसुनवाई के लिए, क्योंकि जनसुनवाई कहीं और हो ही नहीं सकती थी वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर और कोई खाली जगह नहीं हैं इसलिए आखिर में इस स्कूल में कराना पड़ा। बच्चों का नुकसान करके ऐसा पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का कोई मतलब नहीं होता। जिसमें बच्चों का भविष्य खराब हो। साथ ही साथ जब यहाँ से हाइवा ट्रक गुजरेंगे जिसमें रेत ले जाया जाता है वो कभी भी ढककर नहीं जाती है पूरे रास्ते में रेत गिर जाती है। आप ने बलौदा बाजार हाइवे में देखा होगा जहाँ बाईक में चलने वालो के आँखो मे रेत जाती है, उससे कई एक्सीडेंट होते हैं। ये भी खतरा बना रहेगा और बहुत सारी दिक्कते हैं ये पर्यावरण की जनसुनवाई को लेके जिसमे सबसे बड़ा मुदा सड़क का है जो कि 12 टन क्षमता का है उसमें आप 35–40 टन की क्षमता का ट्रक चलने की परमिशन देंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसी परमिशन देना चाहिए, मैं ऐसी लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ।

2. श्री विजय कोसले, ग्राम बिजराडीह ने कहा कि रेत घाट चालू हो रहा है वो तो अच्छी बात हैं लेकिन रेत परिवहन होने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं हैं, जो भी गाड़ी हैं वो बस्ती से होकर जायेगा। जिससे हम लोगों को काफी नुकसान

है क्योंकि हमारे घर के दरवाजे रोड की तरफ हैं यदि उस हाईवा की चपेट में कोई आ जाएगा या कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसका मुआवजा ना ही सरकार देगी ना ही ठेकेदार देगा। जिसके साथ यह दुर्घटना होता है वो ही समझ सकता है अभी स्कूल के पास एक दुर्घटना हुआ हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो भी रेत घाट चलेगा उसका रास्ता बस्ती से नहीं होगा। यदि ठेकेदार नया रोड बनवा सकते हैं गाँव के बाहर से और हमारे गाँव की रोड बहुत जर्जर हैं जब हम अपने खेत जाते हैं और यदि फिसल के गिरेंगे तो हमारी काफी जनहानि होती हैं। आप लोग अधिकारी कर्मचारी से निवेदन है कि आप लोग उस रोड में जा के देख सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही हैं। अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार एवं समस्त ग्रामवासी से मैं निवेदन करता हूँ कि यदि रेत घाट खुलना ही है तो पहले गाँव के बाहर से रोड की व्यवस्था होनी चाहिए । उसके बाद में रेत बेचें मुझे उससे कोई मतलब नहीं हैं। मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें।

3. श्री पन्नालाल, ग्राम बिजराडीह ने कहा कि शासन, प्रशासन, अधिकारी एवं ठेकेदार सब से मेरी प्रार्थना है और निवेदन है हमारे गाँव के विजय भाई ने अभी जो बोला उसका मैं समर्थन करता हूँ। अगर ठेकेदार रेत खदान चलाना चाहता हैं तो गाँव के बाहर से रोड बनाएँ और इसके लिए मैं आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

4. श्रीमति ऊषा सोनवानी ने कहा कि मैं चाचा जी के बात का समर्थन करती हूँ जैसा उन्होंने बोला कि इस छोटे रोड से ट्रक गाड़ी नहीं चल सकती हैं। मैडम से मेरी विनती हैं कि जो गाँव वाले बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं जनसुनवाई का विरोध करती हूँ।

5. श्री सातराम लहरे, ग्राम बिजराडीह ने कहा कि मैं अपने गाँव की धरती में पधारे अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के जनसुनवाई में ये बोलना चाहता हूँ कि यदि गाँव में ही शासन रेत खदान चलाना है तो इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ आवागमन के लिये गाँव के बाहर से एक रोड बना दिया जाए ताकि जो हमारे रेत खदान के संचालक हैं उनको सुविधा हो सके। अभी भी स्कूल के सामने जो कक्षा 1 की जो बच्ची थी उसकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुका है। इसलिए मैं गाँव के रोड से हाईवा गुजरने का विरोध करता हूँ और बाहर से रोड बनाकर संचालन करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

6. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष इंटक, छत्तीसगढ़ ने कहा कि आज के पर्यावरणीय लोक सुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, आदरणीय एस. डी. एम. साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब, आदरणीय नायब तहसीलदार साहब, हमारे पर्यावरण संरक्षण विभाग के सभी अधिकारी, श्रम व खनिज विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी हमारे, ग्राम बिजराडीह के सरपंच एवं सभी पंच, हमारे साथी भाई और हमारे सभी मजदूर यूनियन के साथी आस–पास से आये हुए हमारे जन प्रतिनिधि लोग, हमारे मीडिया के सभी साथी लोग आज बिजराडीह सेण्ड माईन का पर्यावरणीय लोक सुनवाई में हार्दिक स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ। स्वागत और समर्थन इसलिए करता हूँ कि मेसर्स एम.एस.के. यदु (प्रो. श्री मिथिलेश यदु), बिजराडीह सेण्ड माईन के खुलने से हमारे स्थानीय बेरोजगार भाई लोग को काम उपलब्ध हो पाएगा जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही गौण खनिज रायल्टी से मिलना वाला सी. एस. आर. फंड से हमारे बिजराडीह और आस–पास के गाँव का विकास होगा। साथ ही गौण खनिज रायल्टी के डी.एम.एफ. फंड से राज्य को विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पावन महानदी की गोद में बसा सेण्ड माईन परिपूर्ण, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए सभी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि बलौदा बाजार में स्थित सारे सेंड माईन्स को पर्यावरण संतुलन के लिए 5–5 हजार पेड़ लगाये जाए और उसके संरक्षण के लिए पर्यावरण विभाग के अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाए। आज के जन सुनवाई में पर्यावरण अधिनियम, खनिज अधिनियम, श्रम अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए सेण्ड माईन का संचालन होना चाहिए। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नोटिफिकेशन EIA 2006 का पालन करते हुए जनसुनवाई हो रहा है। हमारे गाँव में इसकी मुनादी हुई है सभी ग्रामवासियों को इसकी जानकारी दी गई है। पुनः मै आज के पर्यावरणीय लोक सुनवाई का समर्थन भी करता हूँ। साथ ही मेरे कुछ माँग भी है कि हमारे उक्त सेण्ड माईन में जो है 70% युवा साथी को रोजगार दिया जाए। हमारे गाँव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसे कि हेल्पर, मशीन आपरेटर, मैनेजर, शमवर, मुंशी और मजदूरी इन सब में हमारे गाँव बिजराडीह के स्थानीय लोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही मेसर्स बिजराडीह सेण्ड माईन में कार्यरत हमारे कर्मचारी रहेंगे उन लोग को कलेक्टर दर से शासन की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का पालन करते हुए भुगतान होना चाहिए, अवैध रेत उत्खन्न में प्रतिबंध होना

चाहिए और घनी आबादी क्षेत्र के पास में दिन–रात पानी का छिड़काव होना चाहिए। पर्यावरण अधिनियम, खनिज अधिनियम, श्रम अधिनियम, राज्य शासन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम और शासन के सभी नियम को पालन करते हुए खदान का संचालन होना चाहिए। रेत का परिवहन करते समय ट्रक को तारपोलिन से ढकना चाहिए ताकि किसी भी ग्राम वासी को किसी भी तरह से तकलीफ ना हो और गाँव की मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, नाली और छोटी–छोटी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उसे विशेष प्राथमिकता देते हुए उस कार्य को किया जाए। ओवरलोडिंग का कार्य रुकना चाहिए और साथ ही गाँव के विकास हेतु कार्य योजना बना के गाँव वालों के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान करें। मैं पुनः मेसर्स एम.एस.के. यदु सेण्ड माईन का समर्थन करता हूँ।

7. श्री गणेश डहरिया, ग्राम–बिजराडीह ने कहा कि आज हमारे ग्राम बिजराडीह में पर्यावरण सुरक्षा के लिए आज रेत खदान के जो नियम का पुष्टि के लिए आज हो रही जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ और आज आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ आज हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा उसका भी मैं आप लोगो को बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में यह बन्धु जी और जितने भी अधिकारी गण है और कर्मचारी गण हैं, हमारे गाँव के सरपंच और हमारे जन प्रतिनिधि जन है और जितने भी हमारे शिक्षाकर्मी है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के पर्यावरण का स्वरूपतैयार करने के लिए पर्यावरण को बचानेके लिए आप जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया हैं उसका समर्थन करता हूँ। आदरणीय सजनों मैं आप लोगो को यह बताना चाहता हूँ कि हमारा गाँव बिजराडीह, बलौदाबाजार–भाटापारा का बहुत ही पिछड़ा हुआ गाँव है। आज यहाँ पे रेत खदान संचालित करने के लिए पर्यावरण का स्वरूप तैयार करने के लिए आवेदन किया गया है, इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। गाँव के बाहर से मार्ग बनाकर अगर रेत खनन होता है उसका मैं समर्थन करता हूँ। आज जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है उसका समर्थन करता हूँ।

8. श्री मनराखन दास बंजारे, ग्राम–बिजराडीह ने कहा कि अभी जो विजय कोसले और पन्ना लाल भैया ने जो बात कही उसका मैं समर्थन करता हूँ। गाँव में रेत खदान नहीं होना चाहिए, हम सुरक्षा से अपने गाँव में रहना चाहते हैं। जो लोग ने पहले रेत खदान लिया था, उन्होंने क्या किया पहले के लिए सब चीजो को नष्ट कर दिया, रोड की हालत खराब है, हम लोग फिसल के गिर रहे हैं, रोड पर चल भी नहीं पा रहे हैं। हमारे गाँव में रेत खदान नहीं होना चाहिए।

9. श्री संजीव कुमार, ग्राम बिजराडीह ने कहा कि जैसे कि यहां बात हो रही है रेत खदान बेचने और खोलने का, यहां जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी बात कहीं वह सिर्फ रेत के मुद्दे पर कहा है किसी ने हमारे गाँव का बात नहीं किया है। अभी तक हमारे गाँव में जितने भी रेत घाट संचालित किये है वह सिर्फ हमारे गाँव को बर्बाद करके गए है। आज तक जितने भी रेत खदान खुले सिर्फ बड़े–बड़े उन जगहों पर अब गड्ढे है। लोग बड़े–बड़े वादे तो करते है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बात करे रॉयल्टी की इतने दिनों में अगर इतना सारा रेत बिका हैं, उतने दिन के रेत का रॉयल्टी कहाँ है। ना किसी ने हिसाब दिया और ना ही किसी ने हिसाब मांगा। हमारे गाँव के लिए अगर इन पैसो का कोई उपयोग नहीं हो रहा तो ऐसे रेत को और रेत खाट को बेचने का मतलब ही क्या है, जिससे हमारे गाँव का कोई फायदा नहीं होता, ना ही हमारे बच्चों को फायदा है और ना ही हमारे गाँव का विकास हो रहा है, तो ऐसे रेत को बेच कर हम अपने गाँव को और बर्बाद क्यों करे। आज तक मैंने में देखा है कि जितने भी रेत घाट संचालित होते है उसकी वजह से गाँव बर्बाद हो जाता है और वाद–विवाद कि स्थिती बनती है। जिस गाँव में घाट संचालित नहीं होता है, उस गाँव के लोग अच्छे से रह रहे है परन्तु जहाँ–जहाँ घाट संचालित हुए है वहाँ पर वाद–विवाद और झगड़े के सिवाय कुछ देखने को नहीं मिला है। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में हम एक–दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहते और खुशी और भाई चारे के साथ रहना चाहते है इसलिए रेत खाट का मैं विरोध करता हूँ।

10. श्रीमति सुमीत्रा धृत्तलहरे, जिला पंचायत सदस्य, बलौदाबाजार ने कहा कि सबसे पहले मंच पर बैठे हमारे बलौदाबाजार जिले से और राज्य से आए सभी अधिकारी गण का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पहली बार हमारे क्षेत्र में किसी ठेका के लिए, रेत खदान की संचालन के लिए या किसी भी कार्य के लिए जन–सुनवाई आप लोग करवा रहे हैं। बहुत ही बधाई देने वाली बात है कि ऐसा आयोजन आप लोगों ने किया। मैं इस क्षेत्र कि जन प्रतिनिधि हूँ। गम्भीरता से कहना चाहूंगी कि अभी हमारे गाँव के बहुत से प्रतिनिधियों ने बोला है कि अगर रेत घाट संचालित होगा तो उसके लिए आप लोग कौन सी रोड का पास देंगे। क्योकि अगर हम किसी चीज को निकालेंगे और भारी वाहन चलेंगे तो उसके लिए पहले से रास्ता सुनिश्चित करे। मेरे ख्याल से अभी मैंने सुना नहीं है कि रोड का कोई उल्लेख हुआ है। ये ग्रामीण इलाका और रहवासी क्षेत्र है। मैडम रोड से लगा हुआ स्कूल है और जितने भी घर है, सबका दरवाजा रोड से जुड़ा हुआ है। कभी भी कोई भी छोटे बच्चे और

लोग अचानक से सड़क पर आ सकते है और क्योंकि गाड़ी स्पीड से जा रही है तो दुर्घटना होने की आशंका रहती है। मैं रेत घाट का विरोध नहीं कर रही हूँ पर समर्थन में तभी करूंगी जब रेत खदान के लिए अलग से मार्ग बनाया जाए। बिना इसके हम गाँव वाले इस रेत खदान के लिए कैसे सहमती देंगे ? तो मैं आप सब लोग से निवेदन करती हूँ कि गाँव वालो की मंसा का ध्यान में रख कर अगर रेत घाट संचालित हो रहा है तो वह स्वागत देने योग्य है क्योंकि पिछले कुछ वर्षो से यहाँ रेत घाट संचालित नहीं थी। पहले जो था, वो पंचायत दे रहे थे, तब था। मगर शासन द्वारा पहली बार रेत खदान चालू हो रहा है। इसके लिए अलग रास्ता होना चाहिए। बिना इसके हम किसी भी चीज का निकसी नहीं कर सकते। एक बात और जब यहां रेत घाट पहले से संचालित हो रहा था तो रॉयल्टी तो मिलना चाहिए था। और ग्राम पंचायत को डी. एम. एफ. फण्ड मिलना चाहिए था वो नहीं के बराबर है। जो प्रत्यक्ष प्रभावित गाँव है, वहाँ के नागरिकों को और उससे लगे हुए 7 किलोमीटर गाँव को भी देते हैं, मगर वो तो गाँव के सरपंच ही बता पाएंगे कि गाँव के विकास के लिए डी.एम. एफ फण्ड से कितना राशि आया है या नहीं है। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि डी.एम.एफ राशि से जैसे पेयजल की समस्या है, गाँव में बीच–बीच में पानी भरा हुआ है, निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है तो मेरे हिसाब से यह गाँव आदर्श श्रेणी में नहीं आता है। इस गाँव में बहुत रेत खदान संचालित होते थे और अभी होने वाला है। मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि डी.एम.एफ फण्ड से गाँव का विकास हो जैसे स्कूल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बिजली पानी के लिए राशि मिले। मैडम और सर आप सबसे मैं यह निवेदन करूँगी और गाँव वालो का समर्थन करूँगी कि बिना रोड बनाएँ रेत घाट संचालित करने का समर्थन नहीं करती। अगर आप यहाँ से रेत उत्खनन करना चाहते हैं तो गाँव के बाहर से रास्ता होना चाहिए और वो बहुत जरूरी हैं। रास्ता की व्यवस्था अगर होती है तो मैं इस रेत खदान को संचालित करने का समर्थन और स्वागत करती हूँ।

11. श्री स्वरूप धृत्तलहरे, सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि आज की इस जनसुनवाई में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस रेत घाट का समर्थन करता हूँ, क्योंकि रेत घाट के चालू होने से गाँव में जो मूलभूत सुविधा और जरूरत हैं वो इस रेत खदान जिसकी क्षमता 1,80,000 टन प्रतिवर्ष है। इससे जो रॉयल्टी की राशि 90,00,000/– प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत को इनकम होने वाला है। इस प्रकार पंचायत को होने वाले इनकम को ग्रामवासी ना छुड़ाएं क्योंकि इससे गाँव का ही विकास

होगा और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।

12. श्री सोमकांत निर्मलकर, प्रदेश महासचिव इंटक ने कहा कि मैं मेसर्स एम.एस.के. यदु सेण्ड माईन का समर्थन करता हूँ क्योंकि गाँव के जो युवा बेरोजगार भाई हैं उन्हें काम मिलेगा और साथ ही सी. एस. आर. फण्ड से जो काम होगा वो रोड, नाली आदि बनाने में किया जाएगा। इसलिए मैं इनका समर्थन करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा द्वारा कहा गया कि इस जनसुनवाई में जो आम जनता के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया है, उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक क्या विचार रखते हैं, वो आकर अपना स्पष्टीकरण दें।

परियोजना प्रस्तावक श्री मिथिलेश यदु ने कहा कि मेरे द्वारा आवेदित मेसर्स एम.एस.के. यदु सेण्ड माईन के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गये विकल्पो के संबंध में हमारी ओर से जवाब देने के लिए नेबेट से प्रमाणित अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय द्वारा बताया गया है कि दिनांक 26.11.2024 को पीपल चौक स्कूल परिसर, ग्राम– बिजराडीह, तहसील – पलारी, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में परियोजना प्रस्तावक श्री मिथिलेश यदु द्वारा आवेदित बिजराडीह सेण्ड माईन खनन परियोजना (प्रो. श्री मिथिलेश यदु), प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गए विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, का परियोजना प्रस्तावक श्री मिथिलेश यदु की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि, आवेदक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान का संचालन अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जावेगा एवं खदान संचालन के दौरान खनिज शाखा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा । रेत खदान से, रेत का परिवहन, बिजराडीह के ग्रामीण मार्ग के अलावा अन्य गैर

रहवासी क्षेत्र से होकर जाने वाली कच्ची सड़क से मुख्य मार्ग तक ले जाया जावेगा। ग्राम बिजराडीह के मार्ग को छोड़कर, अन्य ग्राम मलपुरी या ग्राम बोदामोहन की ओर से या अन्य मार्ग भी विकल्प के रूप में उपयोग करते हुए रेत का परिवहन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। मजदूरी का भुगतान नियत समय पर किया जाएगा। शासकीय नियमानुसार मजदूरों को मजदूरी एवं अन्य राशि दी जाएगी। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कर के प्रदूषण को कम किया जावेगा तथा अन्य धूल उड़ने वाले बिंदुओं पर जल का छिड़काव करके धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जावेगा, एवं समय –समय पर सड़क का उचित रख रखाव भी कराया जावेगा। सड़कों का उचित रख रखाव तथा वाहनों का सं्चालन तारपोलिन ढंककर किया जावेगा तथा समय समय पर सड़क का उचित रख रखाव किया जावेगा । नदी तट के कटाव को रोकने के लिए नदी तट से 220–320 मीटर की दूरी छोड़ते हुए आवेदित खदान के भीतर खनन किया जावेगा इसके साथ ही नदी तट से मृदा कटाव के रोकथाम के लिए, नदी तट क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 2,000 नग पौधे, स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए चेनलिंक फेंसिंग के साथ, नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जावेगा। ग्रामवासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं की मांग जैसे ग्राम में रोड, नाली, पानी आदि एवं ग्राम पंचायत में विकास के अन्य कार्यों के बारे में यह कहना चाहेंगें की खदान के संचालन के दौरान पट्टेदार द्वारा रायल्टी के साथ–साथ जिला खनिज निधि (DMF) के रूप में निर्धारित राशि प्रतिमाह शासन को जमा की जावेगी, जिसका उपयोग शासन द्वारा विभिन्न मदो में किया जाता है। माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से हमारा अनुरोध है कि ग्रामवासियों के द्वारा की गयी मांगों को यथोचित संज्ञान में लेते हुए, निर्णय में लेते हुए सम्बंधित कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें। सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रशिक्षित वाहन चालक लगाये जायेगें एवं वाहन चालकों को सतत् रूप से उचित दिशा–निर्देश दिये जायेगें। रेत का परिवहन पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों में और वाहनों को तारपोलिन से ढंककर, परिवहन के सभी नियमो का पालन करते हुए किया जावेगा। नियमानुसार गति सीमा में ही परिवहन किया जायेगा। हमारे प्रकरण में लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गये हैं उसके संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी राज्य स्तर पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के समक्ष

प्रस्तुत कर दिया जावेगा। ग्रामवासियों के द्वारा दिए गए सुझाव एवं समर्थन का हम ह्रदय से धन्यवाद देते हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि आज इस जन सुनवाई में जो भी कार्यवाही की गई वो सभी रिकॉडिंग कर ली गई है। आप सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार एवं अभिमत व्यक्त किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूॅ और आज की जन सुनवाई यहीं पर समाप्ति की घोषणा करती हूॅ। लगभग अपरान्ह 03:15 बजे लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई। लोक सुनवाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या 03 है। संपूर्ण लोकसुनवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)